तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 35/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

12–9–2025

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) प्रवीण कुमार पुत्र श्री शंकरलाल जी माली, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही व प्रतिवादी संख्या–2 (दो) बजरंग कुमार अग्रवाल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स बजरंगकुमार अग्रवाल एण्ड सन्स, मैन बाजार, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली एवं प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) लखपतराज गांधी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के सामने, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली तथा प्रतिवादी संख्या 4 (चार) धर्मेन्द्र कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि, M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) अनुपस्थित।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 12–7–2024 को मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड, कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र श्री शंकरलाल माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) (500 एम.एल. पैकिंग में) का नमूना संख्या S-2353 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1064/Act/2024/1112 दिनांक 25–7–2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 08–7–2024 को प्रतिवादी संख्या 1 (प्रवीण कुमार) ने एवं नियत दिनांक 06–8–2025 को प्रतिवादी संख्या 2 (बजरंग कुमार अग्रवाल) ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये। जबकि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 12–9–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप प्रकरण का गुणावगुण पर विधि अनुरुप निस्तारण किया जा रहा है।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 12–7–2024 को समय 11–00 ए.एम. पर मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड, कैलाशनगर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली,

.......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 35/2025	नंबर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवासी— मालियों का वास, कैलाशनगर, तहसील— शिवगंज, जिला— सिरोही उपस्थित मिलें, जो मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर में खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) का आम जन को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर के निरीक्षण के दौरान आम जन को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली को गवाह श्री भरत कुमार, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 20 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 4 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) की कीमत राशि रुपये 1160/— (अक्षरे रुपये एक हजार एक सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र शकरलाल जी माली को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2353, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 500—500 एम.एल. के चारों पैक्ड पैकेटों पर एक—एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2353 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली व गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक—एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो—दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग—अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16—7—2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील ....लगातार	

मु. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही—307001.

न्यायालय मु. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 35/2025	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12–7–2024 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली से खाद्य पदार्थ Ghee (Goudhara) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही एवं नमूना जांच हेतु भेजने की कार्यवाही विधि अनुरुप की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) (500 एम.एल. पैकिंग पैकेट) के नमूना संख्या S-2353 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1064/Act/2024/1112 दिनांक 25–7–2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) का नमूना संख्या S-2353 अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) प्रवीण कुमार पुत्र शंकरलाल जी माली की प्रोपराईटर फर्म मैसर्स विक्रम जनरल स्टोर, रुपावास बस स्टेण्ड़, कैलाशनगर द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Barnd Krishna) के 500–500 पैक्ड पैकेटों को मैसर्स बजरंगकुमार अग्रवाल एण्ड सन्स, मैन बाजार, पोस्ट ऑफिस रोड़, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये टेक्स इनवोईस बिल नम्बर 0537 दिनांक 17–5–2024 से क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 (बजरंग कुमार अग्रवाल) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं प्रतिवादी बजरंगकुमार अग्रवाल की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स बजरंगकुमार अग्रवाल एण्ड सन्स, मैन मार्केट, सुमेरपुर द्वारा द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को मैसर्स गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, मैन मार्केट, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये टेक्स इनवोईस बिल नम्बर GST/24-25/1081 दिनांक 16–5–2024 से क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 3 (लखपतराज गांधी) की प्रोपराईटरी फर्म है तथा प्रतिवादी लखपतराज गांधी की प्रोपराईटरी फर्म गांधी चुन्नीलाल लालचन्द एण्ड ब्रदर्स, मैन मार्केट, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों को फर्म M/S Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) से जरिये टेक्स इनवोईस नम्बर JO2410000026 दिनांक 30–4–2024 से क्रय किया गया है, जो खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) की पैकर व निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ के निर्माण व पैकिंग हेतु निर्माता/पैकर फर्म उत्तरदायी व दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों का निर्माण व पैकिंग करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा	

........लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

स्थानापन्न अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 35/2025	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Brand Krishna) (नमूना संख्या S-2353) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड पैकेटों के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी फर्म M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, निर्मता/पैकर फर्म M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) के अधिकृत प्रतिनिधि धर्मेन्द्र कुमार (प्रतिवादी संख्या 4) को आदेशित किया जाता है कि M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) पर अधिरोपित शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी फर्म M/s Bhole Baba Milk Food Ind. Ltd., Shop No. 3 & 4, Plot no. 14 Maan Nagar Yojana, magra Punjla, Jodhpur (Raj.) को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 15–10–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001. न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)	